2026 का विधेयक संख्यांक 139

[पब्लिक इग्जामिनेशन (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 का हिंदी पाठ]

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026 है।

धारा 10 का संशोधन ।

2024 का 1

2. लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में, "ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।" शब्दों के स्थान पर "ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "एक करोड़ रूपये के जुर्मानें का भी दायी होगा ।" शब्दों के स्थान पर "पांच करोड़ रूपये के जुर्मानें का भी दायी होगा और" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में,—

(i) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "एक करोड़ रूपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा ।" शब्दों के स्थान पर "दस करोड़ रूपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा और" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में,—

(क) "केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण" शब्दों के पश्चात्, "या एक विशेष कार्य बल, जिसे वह सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में गठित करे" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु केंद्रीय सरकार, जहां इस उपधारा के अधीन किसी विशेष कार्य बल का गठन करती है, तो ऐसा अन्वेषण, केवल इस प्रकार गठित विशेष कार्य बल द्वारा किया जाएगा।"।

नई धारा 12क और धारा 12ख का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धाराए अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

त्वरित अन्वेषण और विशेष त्वरित निपटान न्यायालय।

"12क. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण,—

(क) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा, पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित किए जाने की दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर; या

(ख) केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा उसे भेजे गए निर्देश की दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर; या

(ग) उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर एक विशेष कार्य बल द्वारा,

पूरा किया जाएगा ।

(2) दिन-प्रतिदिन के आधार पर शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन से, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, किसी सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के रूप में अभिहित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों का विचारण करते समय, उससे संबंधित अन्य अपराधों का भी विचारण करेगा, जिनके लिए अभियुक्त पर उसी विचारण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन आरोप लगाया जा सकता हो ।

2023 का 45

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रत्येक विचारण में, कार्यवाही दिन-प्रतिदिन आधार पर जारी रहेगी जब तक उपस्थित सभी साक्षियों की परीक्षा न हो जाए, तब तक विशेष त्वरित निपटान न्यायालय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह न पाए कि कार्यवाही को अगले दिन से आगे स्थगित करना आवश्यक है :

परंतु यह कि इस प्रकार का विचारण आरोप पत्र फाइल करने की दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधों से संबंधित मामले या विचारण, जो लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन अधिनियम, 2026 के प्रारंभ की तारीख को लंबित है, उपधारा (2) के अधीन अभिहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अंतरित मामलों का विचारण उपधारा (2) के अधीन अभिहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा उस स्तर से संचालित किया जाएगा जो ऐसे अंतरण पर प्राप्त हुआ हो और ऐसे प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों के संचालन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) के अनुसार प्रत्येक विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के लिए एक या एक से अधिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी ।

2023 का 46

(8) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (फ) और इस संहिता के उपबंधों के अर्थ के भीतर लोक अभियोजक माना जाएगा और उस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

2023 का 46

12ख. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो

अपील ।

अंतरिम आदेश न हो, के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील का विचारण उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा और यथा संभव, अपील की स्वीकृति की दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उसका निपटान किया जाएगा ।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, किसी विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जिसके अंतर्गत अंतरिम आदेश भी है, के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 419 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। 2023 का 46

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील निर्णय, दंडादेश या आदेश की दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी:

परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका समधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था, उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगा :

परंतु यह और कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (उक्त अधिनियम) को लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम का उद्देश्य एक अखिल भारतीय विधान होने के नाते, व्यक्तियों, संगठित समूहों तथा संस्थाओं को अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपराध करने से प्रभावी रूप से निवारित करना है, जिससे लोक परीक्षाओं की पवित्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा उस प्रणाली के प्रति जनसाधारण का विश्वास सुदृढ़ करना है।

2. हाल के वर्षों में लोक परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के लीक होने तथा अन्य कदाचार की कुछ घटनाएँ सामने आई हैं, जिनसे लोक परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है ।

3. अतः, लोक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता को और अधिक सुदृढ़ करने, उसकी विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण सुकर बनाने और समयबद्ध अन्वेषण को सुनिश्चित करने के क्रम में, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किया जाना आवश्यक है, अर्थात्:—

(i) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए किसी भी सत्र न्यायालय को विशेष त्वरित निपटान न्यायालय के रूप में अभिहित करने हेतु सशक्त करना;

(ii) यह उपबंध करना कि ऐसे विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों में कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन आधार पर संचालित की जाए तथा आरोप-पत्र फाईल किए जाने की दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विचारण पूर्ण किया जाए;

(iii) केंद्रीय सरकार को किसी अपराध के अन्वेषण के लिए विशेष कार्य बल गठित करने के लिए भी सशक्त करना, यदि आवश्यक हो;

(iv) यह उपबंध करना कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण दो मास की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाए;

(v) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उक्त अधिनियम के अधीन मामलों के संचालन के लिए एक या अधिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति हेतु सशक्त करना;

(vi) उक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए उपबंधित कारावास की अवधि और जुर्माने में वृद्धि करना; और

(vii) किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष अपील और अपील की दिनांक से तीन मास के भीतर उसका निपटान करने के लिए अपील क्रियाविधि का उपबंध करना ।

4. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
24 जुलाई, 2026

डॉ. जितेन्द्र सिंह

उपाबंध

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * * *

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड ।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती है, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

2023 का 45
1860 का 45

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व को सौंपे जाने से चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा ।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, तब वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में, व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

2023 का 45
1860 का 45

* * * * * *

संगठित अपराध ।

11. (1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में, कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी :

2023 का 45

परंतु जब तक भारतीय न्याय संहिता, 2023 प्रवृत्त नहीं कर दी जाती, भारतीय दंड संहिता के उपबंध उक्त अधिनियम के स्थान पर लागू होंगे ।

2023 का 45
1860 का 45

* * * * * *

अध्याय 4

जांच और अन्वेषण

अन्वेषण के लिए सशक्त अधिकारी ।

12. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को अन्वेषण को किसी केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी ।

* * * * * *